हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख इहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 5) हरदेव सिह पुत्र नीका सिह जाति जटसिख निवसी जगमालवाली तह.कालावाली जिला सिरसा (हरियाणा) ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा प्रस्तुत न कर प्रार्थना पत्र अ. आ. 7 नियम 11 व्य.प्र.सं. इस आश्य का प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 1 गुरदेव सिह, प्रति.सं. 2 चानण सिह, प्रति.सं. 3 दलीपकोर प्रति. स. 4 बसन्तकौर तथा प्रतिवादी संख्या 6 मुख्यत्यारकौर फौत हो चुके है। इसलिए वादीगण का वाद पत्र इसी स्तर पर खारिज किये जाने का निवेदन किया।	
बहस उभयपक्ष एंवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया गया कि वादीगण द्वारा न्यायालय में उक्त वाद पत्र संख्या 410/2022 अत्यधिक मृत पक्षकारो के विरूद्व पेश किया गया है जबकि सांझेखाते के सभी सहकाश्तकारों को वाद में बतौर प्रतिवादी सयोजित किया जाकर उनको साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करते हुए खाता विभाजन करने का प्रावधान है। वादीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में मृत पक्षकारों के स्थान पर उनके वारिसान को पक्षकार बनाये जाने के संबधं में भी कोई निवेदन नही किया है। साथ ही हाजिर प्रतिवादीगण ने भी उक्त के संबधं में पूर्व में कोई सूचना न्यायायल को प्रस्तुत नही की है जिससे यह प्रतीत होता है कि वादीगण एव उपस्थित प्रतिवादीगण जानबुझकर मृत पक्षकारो के वारिसान को पक्षकार नही बनाना चाहते है।	
उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी हरदेव सिह पुत्र नीका सिह की और से पेश प्रार्थना पत्र अ.धारा 7 नियम 11 सीपीसी तर्क संगत प्रतीत होता है। अंतः प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्तया स्वीकार किया जाकर राजस्व वाद संख्या 410/2022 गुरचरण सिह बनाम गुरदेव सिह वगैरा एवं प्रस्तुत प्रतिदावे इसी स्तर पर खारिज किये जाते है। उभय पक्ष नवीन तथ्यो को शामिल करते हुए नया राजस्व वाद पेश करने के लिए स्वतंत्र रहेगे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो	
आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

Scanned with OKEN Scanner